


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 17th March 2019 मुकाम कोटिमा

किस मुकदमा नं. 277/19 बनाम सिजाद 9

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/12/19	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 CPC का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर है। अधिवक्ता अप्रार्थी को प्रार्थना-पत्र की प्रति दिखाई गई। अंतरिम स्थगन पर उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रार्थना-पत्र का मूल प्रार्थना-पत्र धारा 136 R.L.R Act का है। तथा उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र (136 R.L.R Act) के निस्तारण तक असुन्याई निषेधाया जारी की जावे।</p> <p>अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र के जवाब हेतु समय-चाहा तथा प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र धारा 136 L.R Act के निस्तारण तक निषेधाया चाही। जो आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत लौषणिक नहीं है। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि बावत रकबा बढ़ोतरी का पेश कर रखा है। जो करते जवाब मुकर है। अप्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि के रैकॉर्ड्स खातेदार है। एवं मौके पर काबिज है। इनके किसी भी प्रकार की निषेधाया प्राप्त</p>	 <p>जज अदालत, कोटिमा P.T.O</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थिगण
ने केवल मात्र अप्रार्थिगण को राष्ट्रीय
राजसर्ग भूमि अज्वाप्ति का मुवाअजा
जो मिलने वाला है। को रोकवाने के
लिए यह प्रार्थना - पत्र पेश किया है।
जो खरिज योग्य है।

प्रार्थिगण का प्रार्थना - पत्र धारा
136 L.R. Act के साथ यानि इसके निस्तारण
तक अश्याई निषेधाया बालत प्रस्तुत
किया। जो पोषणिय नहीं होने से
अस्वीकार किया जाकर खरिज किया
जाता है।

पत्रावली क्रैसल शुमार होकर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर
है।


अध्यक्ष कलेक्टर, जोधिया